विविध **बैंक प्रकरण संख्या 11/2018** (RCMS **2018/00011**) **सिंडीकेट बैंक,** शाखा 7 बी रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर जरिये प्रदीप कुमार गंभीर प्राधिकृत अधिकारी, सिंडीकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर बनाम 1.**विकास ग्रोवर** पुत्र स्व. श्री हरीराम **2. श्री सुरेश ग्रोवर** पुत्र स्व. श्री हरी राम **3. नरेन्द्र कुमार अनेजा** पुत्र श्री जगदीश राज, निवासी मकान नं. 23, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर 4. स्व. हरीराम ग्रोवर पुत्र श्री चुन्नी लाल (मृतक) निवासी मकान नं. 71, आदर्श नगर, नजदीक नेहरू पार्क, श्रीगंगानगर (राज.) **प्रतिनिधियों के नाम 5. ऋचा ग्रोवर पत्नी श्री सुरेश ग्रोवर 6. मास्टर भीष्म ग्रोवर पुत्र श्री सुरेश ग्रोवर 7. मास्टर चेतन्य ग्रोवर पुत्र श्री सुरेश ग्रोवर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री संजय वर्मा उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री संजय वर्मा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2017 को वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण विकास ग्रोवर को ऋण सुविधा के रूप में 9.00 लाख रूपये (अखरे रूपये नौ लाख मात्र) का ऋण दिनांक 04.02.2001 को स्वीकृत किया गया था जिसके गारंटर सुरेश ग्रोवर, नरेन्द्र अनेजा स्व. हरीराम ग्रोवर के वारिस (वसीयत के अनुसार) ऋचा ग्रोवर एवं नाबालिग मास्टर भीष्म ग्रोवर एवं मास्टर चेतन्य ग्रोवर है और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी स्व. श्री हरीराम ग्रोवर (वसीयत के अनुसार प्रतिनिधि श्रीमती ऋचा ग्रोवर, मास्टर भीष्म ग्रोवर एवं मा. चेतन्य ग्रोवर) की व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 18, 19, 20 ए पब्लिक पार्क (क्षेत्रफल 474 वर्गफुट) श्रीगंगानगर मे स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.06.2014 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिये गए। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 01.09.2016 को 36,17,597.35/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे

ला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 16.09.2016 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के जारी किये गए तथा दो समाचार पत्रों में अप्रार्थीगण के नोटिस प्रकाशित करवाये गये है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण पर नोटिस की तामील हो चुकी है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई है। इसलिए अप्रार्थी स्व. हरीराम ग्रोवर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति दुकान नं. 18—19—20 ए (क्षेत्रफल 474 वर्गफुट), पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण विकास ग्रोवर को दिनांक 04.09.2001 को 9.00 लाख रूपये (अखरे रूपये नौ लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके गारन्टर सुरेश ग्रोवर, नरेन्द्र अनेजा एवं स्व. श्री हरीराम ग्रोवर (वसीयत के अनुसार वारिस – ऋणा ग्रोवर, मा. भीष्म ग्रोवर एवं मा. चेतन्य ग्रोवर) है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी स्व. हरीराम की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 18—19—20 ए (क्षेत्रफल 474 वर्गफुट) पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 30.06.2014 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गए। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 16.09.2016 जारी किया गया है, ऋणी विकास ग्रोवर को नोटिस 13(2) भेजने की रसीद के अतिरिक्त अन्य जमानतियों की रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के पोस्ट ऑफिस के पत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार Transaction No. RR871811410In

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

on 12.01.2017 and RR871811406IN on 12.01.2017 - Article delivered on 16.01.2017 and 14.01.2017 परन्तु नोटिस दिनांक 16.09.2016 भेजने की रसीद नहीं होने के कारण उक्त पत्रों को किसी से मिलान नहीं हो पाया। प्रार्थी बैंक ने नोटिस 13(2) प्रकाशन की दो समाचार पत्रों की प्रतिया पेश की है परन्तु कौनसा समाचार है, अंकित नहीं है। जिस हेतु 31.07.2018 के आदेश से मूल समाचार पत्र की प्रति चाही गई थी, परन्तु प्रार्थी बैंक द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक के द्वारा फर्दअहकाम के हाशिये पर दिनांक 31.07.2018 को की गई रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायक से दिलाये जाने बाबत वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 39/2015 के रूप में दर्ज होकर दिनांक 08.07.2016 के अदेश से खारिज किया जा चुका है। उक्त आदेश की प्रति भी इस पत्रावली में शामिल की गई है, जिसके अनुसार पूर्व प्रकरण संख्या 39/2015 में निम्न आदेश पारित किया गया था –

> इस प्रकार न तो ऋणी विकास ग्रोवर को धारा 13(2) के नोटिस की तामील विधिवत् हुई है और न ही मृतक गारन्टर हरीराम, जिसके द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी दुकाने बंधक रखी गई है, का मृत्यु प्रमाण पत्र और न ही उसके जायज वारिसान का प्रमाण पत्र पेश किया है। कानूनन मृतक गारंटर हरीराम के समस्त वारिसान को भी धारा 13(2) का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र में हरीराम के जो वारिसान बिसामा ग्रोवर पुत्र सुरेश ग्रोवर व चेतन्य पुत्र सुरेश ग्रोवर नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता रिचा ग्रोवर दर्शाये गये है। इन नाबालिगान के नाम भी नोटिस जरिये कुदरतीवली माता भिजवाये जाने नहीं पाये जाते है। ऐसी दशा में प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 खारिज करने योग्य है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र धारा 14 खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार प्रार्थी बैंक की ओर से इस न्यायालय के पूर्व आदेश को छुपाकर पुनः इस न्यायालय से आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया है, जो किसी प्रकार से उचित नही है।

प्रार्थी बैंक को Clean Hand & Clean Mind से इस न्यायालय में आना चाहिए था चूंकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में पुनः प्रकरण पेश करने का कोई प्रावधान नही है न ही कोई इस न्यायालय द्वारा पुनः: पेश करने की स्वतन्त्रा दी गई थी। प्रार्थी बैंक यदि पूर्व निर्णय से असंतुष्ट था तो उसे सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता था। ऐसी दशा में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः प्रार्थी सिंडीकेट बैंक, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2017 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। इस आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर